



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 ज्येष्ठ, 1944 (श०)

संख्या - 277 राँची, बुधवार,

15 जून, 2022 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

15 जून, 2022 / ज्येष्ठ 25, 1944 (शक)

सं. 479/2022(2) :- राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 7 के खण्ड (ख) के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा 10:00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक का समय, दोनों को सम्मिलित करते हुए, ऐसे समय के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, आयोग द्वारा राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए अपनी अधिसूचना संख्या 479/2022(1), तारीख 15 जून, 2022 में नियत, प्रत्येक स्थान पर, मतदान होगा।

आदेश से,

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
(वरिष्ठ प्रधान सचिव)

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(के० रवि कुमार)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NirvachanSadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

Dated 15th June, 2022

Jyaistha 25, 1944 (Saka)

NOTIFICATION

No.479/2022 (2):-In pursuance of clause (b) of Rule 7 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974, the Election Commission of India hereby specifies the hours from 10:00A.M. to 5:00P.M., both inclusive, to be the hours during which the poll shall, if necessary, be taken at each place of polling fixed by the Commission in its notification No. 479/2022 (1), dated the 15th June, 2022, for the Presidential Election, referred to therein.

By Order,

(NARENDRA N. BUTOLIA)
SR. PRINCIPAL SECRETARY
